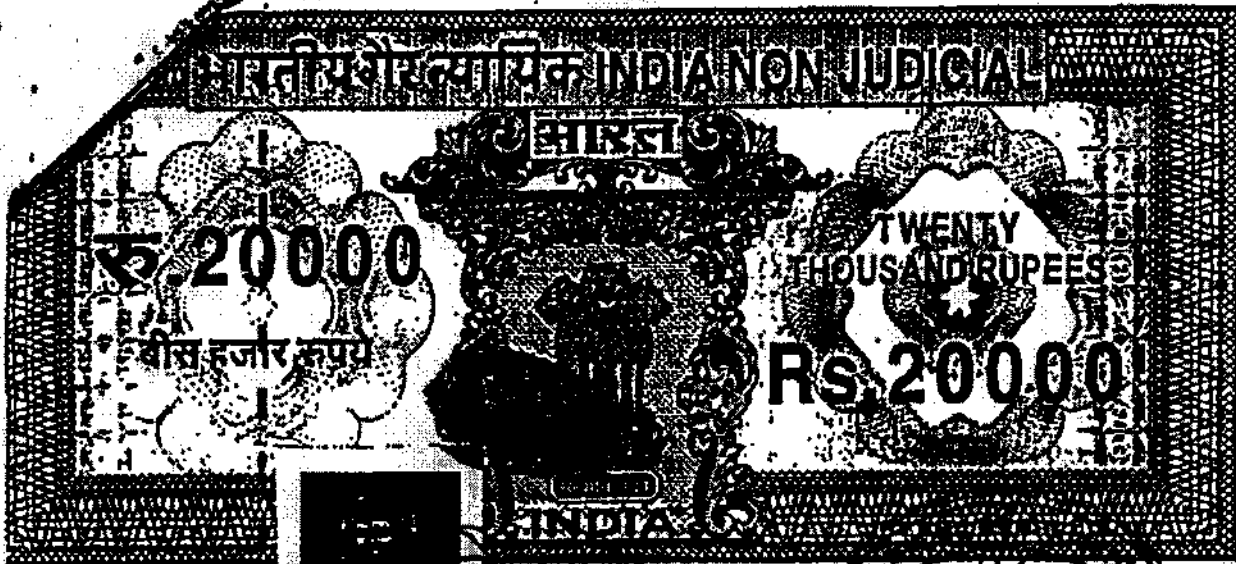


2028



उत्तर प्रदेश UTTAR

20 FEB 2018 54130

परगना (विराट)

22h. Saradhona (Meerut) विक्रय पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिबन्धक कार्यालय: सरधना (मेरठ)।

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य): कृषि भूमि परन्तु निम्न भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विक्रय की जा रही है अतः आवासीय निर्धारित दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
2. सर्किल रेट सूची क्रमांक 1
3. सर्किल रेट सूची के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट 3000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर
4. प्रतिफल की धनराशि अंकन 11,12,280/- रुपये
5. सर्किल रेट अनुसार कीमत अंकन 9,30,000/- रुपये
6. ग्राम जाटौली परगना दोराला
7. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) भूमि खसरा नम्बर 1591/1 व 1720/1 मि०.
8. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्ग मीटर): हेक्टेयर
9. विक्रित भूमि का क्षेत्रफल 0.0310 हे०
10. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार): लागू नहीं. विक्रित सम्पत्ति के दो-दो हिस्से लगभग 50-50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।

विजेन्द्र सिंह

विजेन्द्र सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20 FEB 1985

. 2 .

11. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कनर इत्यादि) लागू नहीं
12. सम्पत्ति की अवस्थिति: नगरीय क्षेत्र
13. पेड़ों का मूल्यांकन: लागू नहीं
14. बोरिंग/कुआ/अन्य: लागू नहीं
15. राष्ट्रीय, जनपदीय अथवा लिंक मार्ग लागू नहीं
16. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित है: नहीं
17. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या संविप्रकानि-5-2756/11-2008-500(185)/2007 तखनक दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार विकास शुल्क सहित 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 77,910/- रुपये, संलग्न स्टाम्प अंकन 78,000/- रुपये

विवरण विक्रित भूमि:

भूमिधारी भूमि खसरा नम्बर 1591/1, (एक हजार पांच सौ इक्यानवे बटा एक) रकबा 0.0060 हे० (शून्य दशमलव शून्य शून्य छः शून्य हैक्टेयर) व 1720/1 मि० (एक हजार सात सौ बीस बटा एक भिनजूमला) रकबा 0.0250 हे० (शून्य दशमलव शून्य दो पांच शून्य हैक्टेयर) कुल 2 दो नम्बर कुल रकबा

विजेन्द्र सिंह

[Signature]

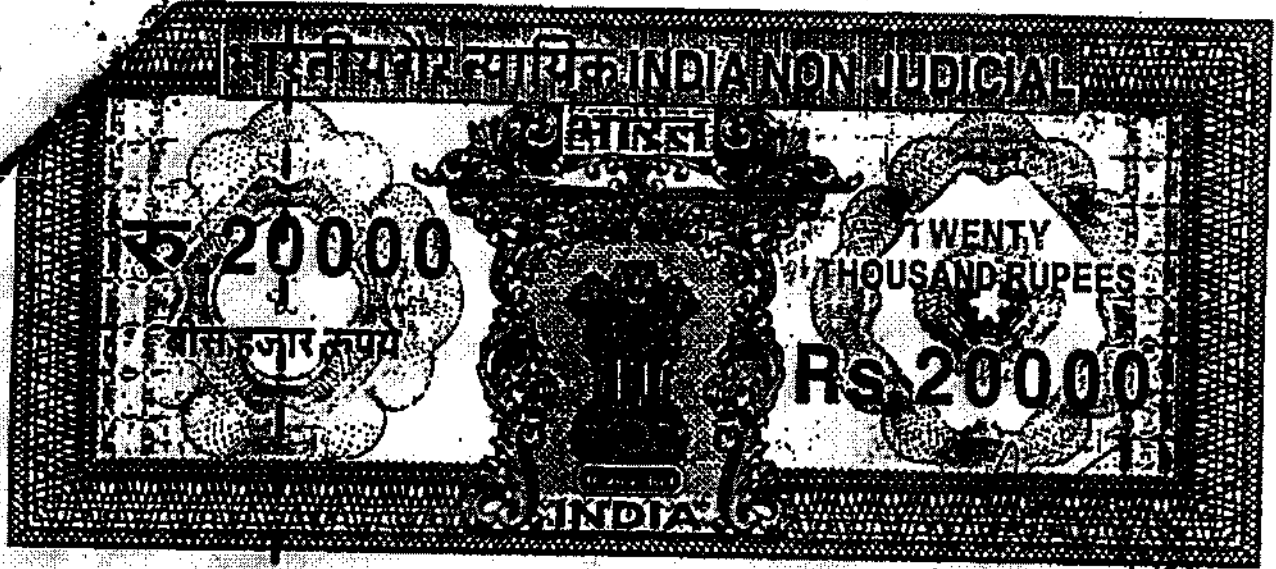
L. B. J. J. J. J. J.

(भाग 1)

(प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर)

पृष्ठ संख्या 14

- 1- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 2- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 3- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 4- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 5- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 6- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 7- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 8- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 9- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 10- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 11- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 12- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 13- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर
- 14- प्रस्तावना का अर्थ और उद्देश्य को ध्यान में रखकर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20 FEB 2018 541 32
मेरठ (मेरठ)

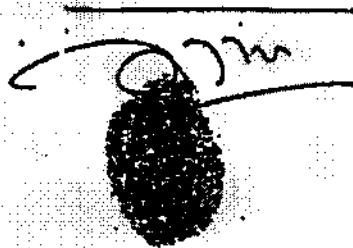
. 3 .

0.0310 हे० शून्य दशमलव शून्य तीन एक शून्य हैक्टेयर स्थित ग्राम
जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ

- ✦ इस विक्रय पत्र पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।
- ✦ विक्रेता तथा क्रेता अनुसूचित जाति से नहीं है।
- ✦ विक्रित भूमि विक्रेता/प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है।
- ✦ पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक हैं।
- ✦ विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
- ✦ विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रांट एक्ट के अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

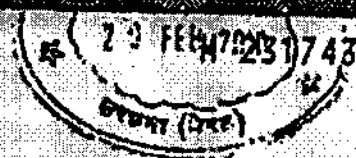
हम कि विजेन्द्र पुत्र श्री बलजीत निवासी दौराला, परगना दौराला तहसील
सरधना जिला मेरठ विक्रेतागण/प्रथम पक्ष

विजेन्द्र सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



एवं

मे० असल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि०, 15-यू.जी.एफ., इन्दप्रकाश,
21-गारुड खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री
सी०जी० शर्मा निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कानूनी, नई दिल्ली
क्रेता/द्वितीय पक्ष

इस दस्तावेज द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित सांक्रमणीय भूमिधरी के प्रथम पक्ष
व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा सांक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त
भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं
भार आदि से उन्मुक्त है तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित है और
प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तांतरित आदि करने
के सौस्त स्वाभित्व एवं अधिकार प्राप्त है। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष

निगेन्टिड

[Handwritten signature]



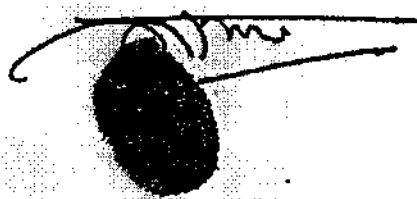
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 5 .



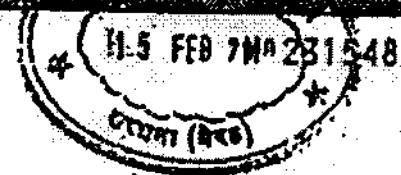
के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई कार्तकार शिकमी या साझी, जैली व कारिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की कार्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्स्प्रीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचारधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1978 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 11,12,280/- रुपये लग है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य

मि. जे. हरिद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



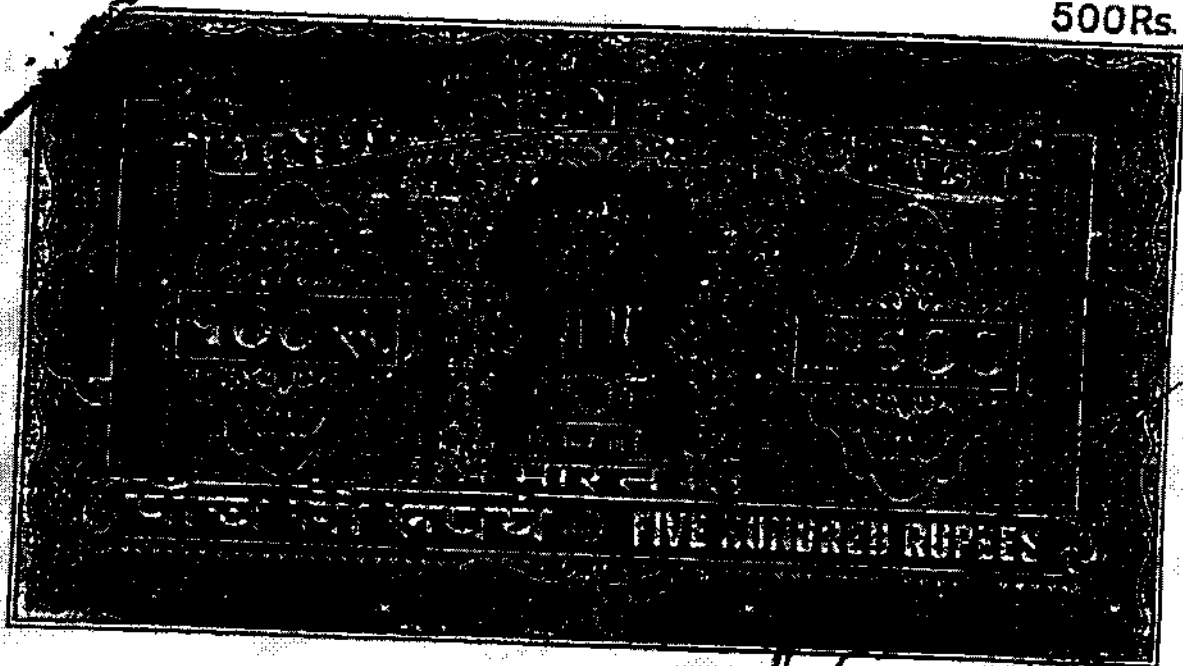
. 8 .

के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वातंत्र्य एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर भूस्वत्व एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 11,12,280/- ग्यारह लाख बारह हजार दो सौ अस्सी रुपये कि आधे पिसके अंकन 5,56,140/- पाँच लाख छप्पन हजार एक सौ बालीस रुपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्तो मे 0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि०, 15-यू.जी.एफ., इन्दप्रकार, 21-गारह खन्वा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री

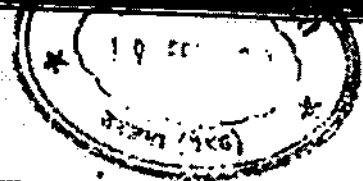
विजेन्द्र सिंह



500Rs

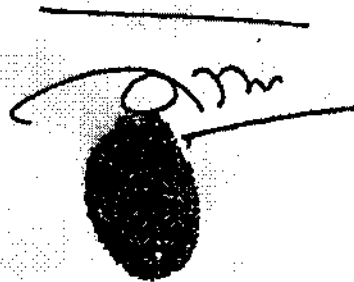


. 7 .



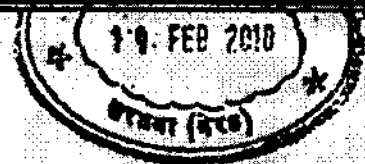
सी०बी० शर्मा निवासी निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली को विक्रय कर दिया और समस्त विक्रय मूल्य इसप्रकार कि अंकन 61,000/-रुपये नकद पेशगी तथा अंकन 10,61,280/-रुपये चेक नम्बर 281159 दिनांकित, 18.02.2010 एक्सिस बैंक शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कच्चा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि

18.02.2010





. 8 .

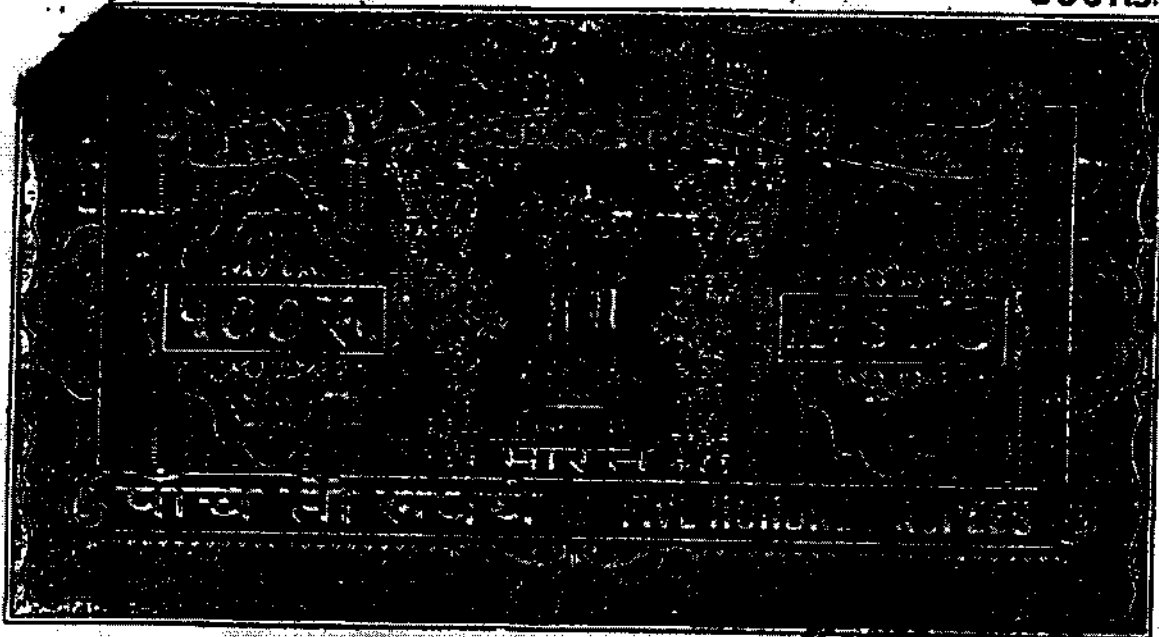


का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति एवं राजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता बहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। अब विक्रेतागण का उक्त खसरा नम्बर में कोई अंश शेष नहीं रहा है। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर

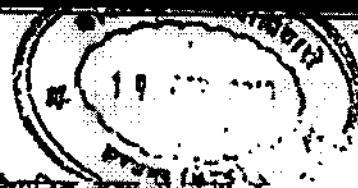
विज्ञेय है

[Handwritten signature]

500Rs.



. 9 .



कोई ऋण या भार आदि माया जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आवे। इति।

दिनांक 20.02.2010 (बीस फरवरी सन दो हजार दस ई०)
मसविदा: जितेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरयना जिला मेरठ

Jitendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHRIL SARAYANA (MEERUT)

जितेन्द्र कुमार


जितेन्द्र कुमार


Jitendra Kumar
1/175 Sandhya Park, N.C.
MEERUT U.P.

जितेन्द्र कुमार
जितेन्द्र कुमार
जितेन्द्र कुमार
जितेन्द्र कुमार

नं० 53. डा० 19. 2. 10 500
 का स्टाफ् बाव नं० 53. म
 य० भोज प्रसा
 स्टाफ् विभाग
 उ० सरधना (मेरठ)

ने नियमन स्वीकार किया ।
 निम्नी काय्य श्री प्रदीप कुमार
 पुत्र श्री कर्तव्य सिंह
 नि० काय्यार

निम्नी 1/179 सुहावनी पंक्तिकेय मेरठ

श्री श्री श्री
 पुत्र श्री निम्नी सिंह

नि० कृषि
 निम्नी राम चरण काय्यार मेरठ

ने की ।

कर्तव्य भा उक्तों के निम्नी संतुष्ट निम्नीयता निम्नी भवे ।

Signature

Signature



Signature

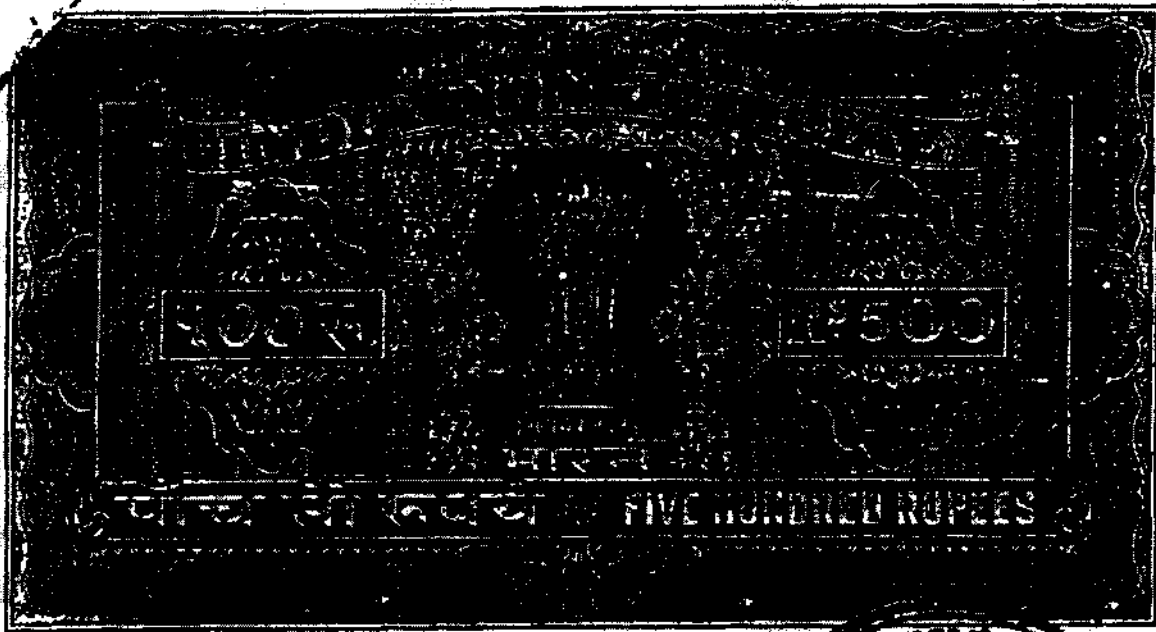
निम्नीयक अधिकारी के हस्ताक्षर

(कृष्ण कुमार यादव)
 उप निम्नीयक सरधना

21. 2. 10

21. 2. 10

500Rs.



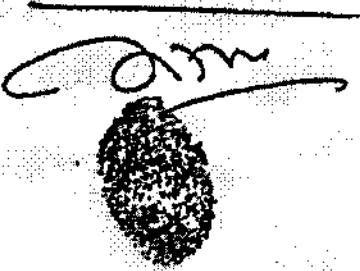
उचिस्टेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुसार हेतु फिंगर्स

प्रिन्ट्स

प्रत्येक फिंगर का एक ही प्रिन्ट : - बिजेन्द्र श. अग्रवाल १० दौड़ाला पटना प्रिन्टिंग ०५



बिजेन्द्र श.



54-19-2-19 5001-
5001-41

का स्वामी काय नर
मन्त्री नृप
स्वामी निरुप
सह. सरयना (मेरठ)

1.112.213.00V 930,000.00

20 10.020.00

100

ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ଗୁଣା ଶ୍ରୀ-୪.

[illegible]

अभिप्रेत



विषय

५५ श्री

अज्ञानीः

Figure 6

ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು

आग दीवल्या शरभ्या मेरठ

[illegible]

६. सदा सौजन्यस्य स्यात् स्यादसौजन्यस्य न

दिनांक 20/2/2010

444 3.741 M

गतिपट्टण अधिकारी के सम्मुख।

४३१-मुद्राधन विना पैसा भिन्नता :

~~18-15-11~~

(कृष्ण कुंगार यादव)
सम निमनमास सरधना

निष्पत्तिः संज्ञायाः वाहः मनसः च लक्षणं कथमनं च साक्षात् धारयति ॥ धर्मज्ञानं च इति

目錄

註釋

8-7-2010

श्री विरजः

श्री अमजीत

प्रेमदास कृष्ण

विमर्शनी एवम श्रुतान्तान्तराणां मंत्र

શ્રી શ્રી ગણેશાય નમઃ પુણ્ય કલ્પદ્રુમનિભિઃ કારણ અર્ચિત

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਮ

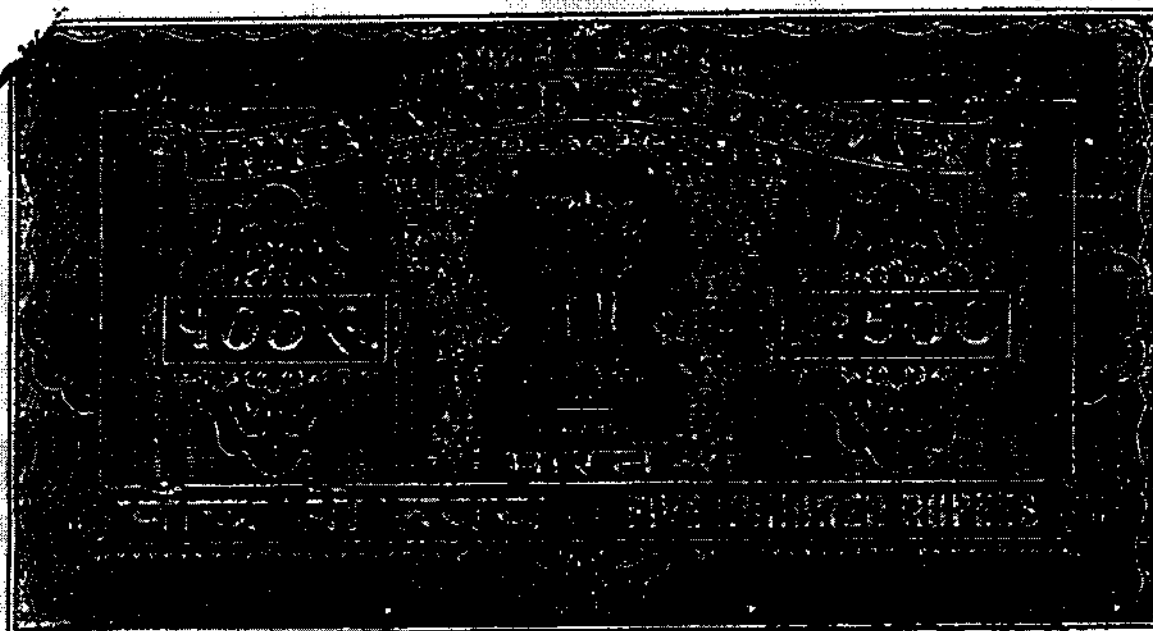
पुत्र भी सी० सी०-सम

दशम शतक की
[Name] and

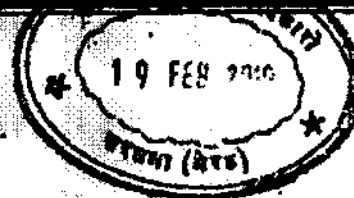
[illegible]

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Figure 1**
 11. **Figure 2**
 12. **Figure 3**
 13. **Figure 4**
 14. **Figure 5**
 15. **Figure 6**
 16. **Figure 7**
 17. **Figure 8**
 18. **Figure 9**
 19. **Figure 10**
 20. **Figure 11**
 21. **Figure 12**
 22. **Figure 13**
 23. **Figure 14**
 24. **Figure 15**
 25. **Figure 16**
 26. **Figure 17**
 27. **Figure 18**
 28. **Figure 19**
 29. **Figure 20**
 30. **Figure 21**
 31. **Figure 22**
 32. **Figure 23**
 33. **Figure 24**
 34. **Figure 25**
 35. **Figure 26**
 36. **Figure 27**
 37. **Figure 28**
 38. **Figure 29**
 39. **Figure 30**
 40. **Figure 31**
 41. **Figure 32**
 42. **Figure 33**
 43. **Figure 34**
 44. **Figure 35**
 45. **Figure 36**
 46. **Figure 37**
 47. **Figure 38**
 48. **Figure 39**
 49. **Figure 40**
 50. **Figure 41**
 51. **Figure 42**
 52. **Figure 43**
 53. **Figure 44**
 54. **Figure 45**
 55. **Figure 46**
 56. **Figure 47**
 57. **Figure 48**
 58. **Figure 49**
 59. **Figure 50**
 60. **Figure 51**
 61. **Figure 52**
 62. **Figure 53**
 63. **Figure 54**
 64. **Figure 55**
 65. **Figure 56**
 66. **Figure 57**
 67. **Figure 58**
 68. **Figure 59**
 69. **Figure 60**
 70. **Figure 61**
 71. **Figure 62**
 72. **Figure 63**
 73. **Figure 64**
 74. **Figure 65**
 75. **Figure 66**
 76. **Figure 67**
 77. **Figure 68**
 78. **Figure 69**
 79. **Figure 70**
 80. **Figure 71**
 81. **Figure 72**
 82. **Figure 73**
 83. **Figure 74**
 84. **Figure 75**
 85. **Figure 76**
 86. **Figure 77**
 87. **Figure 78**
 88. **Figure 79**
 89. **Figure 80**
 90. **Figure 81**
 91. **Figure 82**
 92. **Figure 83**
 93. **Figure 84**
 94. **Figure 85**
 95. **Figure 86**
 96. **Figure 87**
 97. **Figure 88**
 98. **Figure 89**
 99. **Figure 90**
 100. **Figure 91**
 101. **Figure 92**
 102. **Figure 93**
 103. **Figure 94**
 104. **Figure 95**
 105. **Figure 96**
 106. **Figure 97**
 107. **Figure 98**
 108. **Figure 99**
 109. **Figure 100**
 110. **Figure 101**
 111. **Figure 102**
 112. **Figure 103**
 113. **Figure 104**
 114. **Figure 105**
 115. **Figure 106**
 116. **Figure 107**
 117. **Figure 108**
 118. **Figure 109**
 119. **Figure 110**
 120. **Figure 111**
 121. **Figure 112**
 122. **Figure 113**
 123. **Figure 114**
 124. **Figure 115**
 125. **Figure 116**
 126. **Figure 117**
 127. **Figure 118**
 128. **Figure 119**
 129. **Figure 120**
 130. **Figure 121**
 131. **Figure 122**
 132. **Figure 123**
 133. **Figure 124**
 134. **Figure 125**
 135. **Figure 126**
 136. **Figure 127**
 137. **Figure 128**
 138. **Figure 129**
 139. **Figure 130**
 140. **Figure 131**
 141. **Figure 132**
 142. **Figure 133**
 143. **Figure 134**
 144. **Figure 135**
 145. **Figure 136**
 146. **Figure 137**
 147. **Figure 138**
 148. **Figure 139**
 149. **Figure 140**
 150. **Figure 141**
 151. **Figure 142**
 152. **Figure 143**
 153. **Figure 144**
 154. **Figure 145**
 155. **Figure 146**
 156. **Figure 147**
 157. **Figure 148**
 158. **Figure 149**
 159. **Figure 150**
 160. **Figure 151**
 161. **Figure 152**
 162. **Figure 153**
 163. **Figure 154**
 164. **Figure 155**
 165. **Figure 156**
 166. **Figure 157**
 167. **Figure 158**
 168. **Figure 159**
 169. **Figure 160**
 170. **Figure 161**
 171. **Figure 162**
 172. **Figure 163**
 173. **Figure 164**
 174. **Figure 165**
 175. **Figure 166**
 176. **Figure 167**
 177. **Figure 168**
 178. **Figure 169**
 179. **Figure 170**
 180. **Figure 171**
 181. **Figure 172**
 182. **Figure 173**
 183. **Figure 174**
 184. **Figure 175**
 185. **Figure 176**
 186. **Figure 177**
 187. **Figure 178**
 188. **Figure 179**
 189. **Figure 180**
 190. **Figure 181**
 191. **Figure 182**
 192. **Figure 183**
 193. **Figure 184**
 194. **Figure 185**
 195. **Figure 186**
 196. **Figure 187**
 197. **Figure 188**
 198. **Figure 189**
 199. **Figure 190**
 200. **Figure 191**
 201. **Figure 192**
 202. **Figure 193**
 203. **Figure 194**
 204. **Figure 195**
 205. **Figure 196**
 206. **Figure 197**
 207. **Figure 198**
 208. **Figure 199**
 209. **Figure 200**
 210. **Figure 201**
 211. **Figure 202**
 212. **Figure 203**
 213. **Figure 204**
 214. **Figure 205**
 215. **Figure 206**
 216. **Figure 207**
 217. **Figure 208**

वि. अ. न. म. ८



नयरी नक्शा (Not to be scaled)



उत्तर
रबेल हैजाण
नक्का 80 मीटर
रबेल न्याय धर्म
रबेल सुप्रीम धर्म

विक्रय की गयी भूमि की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. नाम सड़क
2. आवासीय/याणिज्यिक, भूमि/भवन/औद्योगिक
3. रैलिक/धर्मार्थ/स्वास्थ्य केन्द्र
4. औद्योगिक संस्थान/कोल्ड स्टोरेज
5. गैस गोदाम/पेट्रोल पम्प/बस अड्डा
6. होटल रेस्टोरेंट/मनोरंजन केन्द्र
7. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमित कार्यालय
8. अन्य

प्रोबन्सा— किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता

~~विज-इ.ए.ए.~~

उस्तादर क्रेता

पं.सं. १९-३-३० व ५०८
का स्टाम्प संप. नं. ५०८ में शामिल है जो
सं. १९३० में
स्टाम्पिंग
सद. सरसदा (मेरठ)

केता

Registration No.: 2028

Year: 2010

Block No.

0201 १० अक्षर १० अक्षर संनदुपान लि० द्वारा अदि० शब्देन संपा

१० १० अक्षर

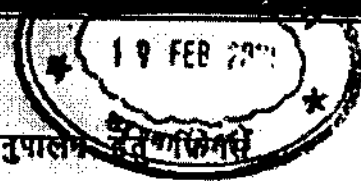
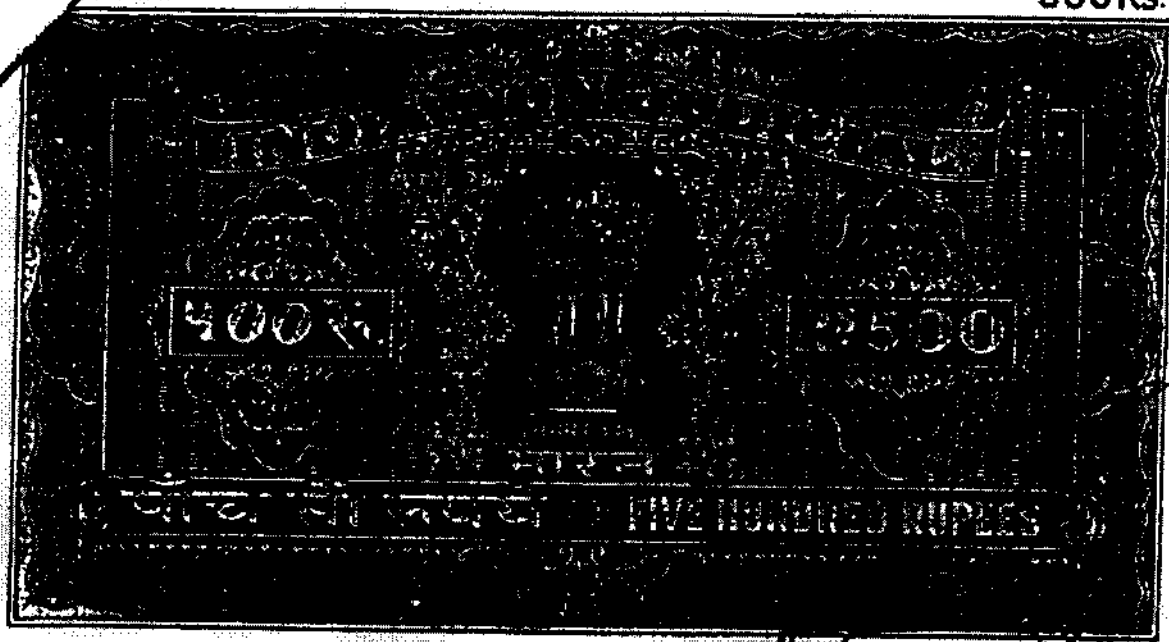
अक्षर १० अक्षर १० अक्षर १० अक्षर १० अक्षर

१०-११



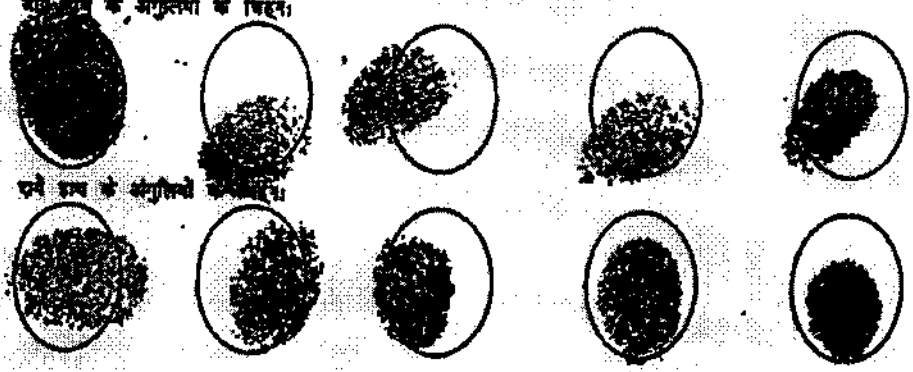


500Rs.

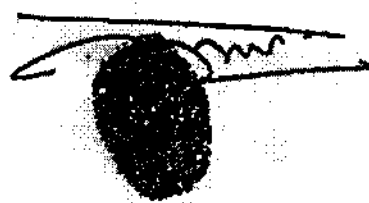


रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन में

प्रिन्ट्स - Mrs. Anil K. Singh & Co. Ltd. 200, Connaught Place, New Delhi



दिजेन्टिफिकेशन



म. २२ डा. १९-३-२०१०
का स्थापन डा. २०-३-२०१० के तहत किया
अ. प्रो. वि. वि.
द्वारा प्रमाणित
प्र. प्रमाणित (नर)

विक्रेता

Registration No. 2028

Year: 2010

Book No.

0101 विक्रेता

प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित

वि. प्रमाणित



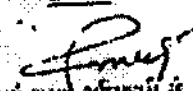
नं. 58 का. 19-2-10 द 500/-
का स्टाम्प का नं. 50 नं. 19-2-10
मन्त्रीय विभाग
स्टाम्प का नं. 50
नं. 58 का. 19-2-10 द 500/-

प्रमाणित किया गया 20/02/2010 का

पृष्ठ नं. 1 पृष्ठ नं. 2628

पृष्ठ नं. 79 पृष्ठ नं. 102 पृष्ठ नं. 2028

प्रमाणित किया गया !


नियंत्रण प्रभाग के अध्यक्ष

(कृष्ण कुमार यादव)
उप निदेशक शरणा

नं. 58 का. 19-2-10 द 500/-